निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–03/22
दायरा दिनांक :–18.04.22
निर्णय दिनांक :– 13.12.22

उनवान

रामचन्दी पुत्री श्री माधोलाल पत्नी श्री भैरू लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील बारां जिला बारां –अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत लिसाडिया तहसील बारां जिला बारां राज0 –रेस्पो0

अपील नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.81

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री हेमराज बैरवा एड0– वादी

निर्णय दिनांक :– 13.12.22

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नं0 39 दिनांक 26.03.81 विरूद्ध रेस्पो0 के न्यायालय में इस आशय की पेश कि गई है कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजियात वर्तमान खाता सं0 38 पुराना 36 में वर्णित खसरा नं0 16 रकबा 2.10 हे0, खसरा नं0 31 रकबा 1.37 हे0 व खसरा नं0 478 रकबा 0.38 हे0, खसरा नं0 522 रकबा 0.19 हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 4.04 हे0 माल ग्राम लिसाडिया भूअभिलेख क्षैत्र बडा तहसील बारां जिला बारां में स्थित है। जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता श्री माधो लाल पुत्र श्री रामनारायण जाति मेघवाल निवासी लिसाडिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत लिसाडिया द्वारा इन्तकाल सं0 39 दिनांक 26.03.1981 दर्ज करते हुए हल्का पटावारी ने विशिष्टयो सहित काश्तकार का नाम कॉलम में मथुरी बेवा श्री माधो, चतरभुज, आनन्दी लाल पुत्रगण व रामचन्दी पुत्री माधो जाति चमार दर्ज किया था परन्तु ग्राम पचांयत इन्तकाल तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इसलिये उक्त इन्तकाल के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

नामा0 सं0 39 ग्राम पंचायत लिसाडिया दिनांक 26.03.1981 कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरित है। ग्राम पंचायत लिसाडिया द्वारा चुनौती दिये आदेश करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित कार्य किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश नामान्तरण से सम्बधित आराजी वाके ग्राम लिसाडिया का इन्तकाल खोलकर काश्तकार का नाम दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना करते हुये कानूनी भूल की है। इसलिये नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.1981 को निरस्त किया जाना व अपील की मद नं01 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

अपील अपीलान्ट दर्ज रजि0 कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 17.11.22 को की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामा0 सं0 39 ग्राम लिसाडिया दिनांक 26.03.1981 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम लिसाडिया सम्वत् 2045–48 खाता सं0 74 पेश की गई। नकल जमाबन्दी ग्राम लिसाडिया सम्वत् 2073–76 खाता सं0 38 पेश की गई।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम लिसाडिया तहसील बारां में स्थित है जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता माधोलाल पुत्र रामनारायण मेघवाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.1981 दर्ज करते हुए हल्का पटवारी द्वारा मथुरी बेवा माधो, चतुर्भुज, आनन्दीलाल पुत्रगण व रामचन्दी पुत्री माधो जाति चमार दर्ज किया था। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत लिसाडिया द्वारा नामा0 तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा यह बडी भूल की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा0 सं0 39 खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.1981 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा माधोलाल के वारिसान का सजरा बनाया गया। जिसमें बेवा मथुरीबाई, चतुर्भुज, आनन्दीलाल पुत्र, रामचन्दी पुत्री अंकित की गई थी। भूअभिलेख निरिक्षक द्वारा मुताबिक सजरा वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे। परन्तु नामा0 तस्दीक करते समय सरपंच ग्राम पंचायत लिसाडिया द्वारा पुत्री रामचन्दी का नाम छोड दिया गया। जबकि सजरा में रामचन्दी का नाम अंकित था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम लिसाडिया सम्वत् 2045–48 खाता सं0 74 के अनुसार मथुरी बेवा, चतुर्भुज, आनन्दीलाल पुत्र माधोलाल के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी में वादनी के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामा0 खोलते समय अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया। अपीलान्ट अपना नाम विवादित आराजी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.1981 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामा0 सं0 39 दिनांक 26.03.1981 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बारां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है। कि मृतक माधोलाल पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल के वारिसान की जांच कर पुनः नामा0 दर्ज किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner